न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आइ0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 97/2023

प्रार्थी–

पेमाराम पुत्र श्री रूपाराम जाति सुथार, निवासी सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बाालोतरा
2. श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति बालोतरा तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा
3. संगाराम पुत्र रूपाराम जाति सुथार, निवासी सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 31 दिनांक 10.12.2021 जो अप्रार्थी सं. 3 के नाम ग्राम पंचायत सिणली जागीर द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री देवीसिंह महेचा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अचलाराम थोरी अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 21.05.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सिणली जागीर द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 10.12.2021 के विरूद्ध दिनांक 18.08.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत सिणली जागीर द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 सांगाराम पुत्र रूपाराम के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत मौजा सिणली चौसीरा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 31 दिनांक 10.12.2021 को\जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार

जिला कलक्टर
बालोतरा

2695 वर्ग फीट दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उतर में 77 फीट व जसोदा पत्नी सांगाराम, बदिशा दक्षिण में 77 फीट व रास्ता, पूर्व में 35 फीट व आम रास्ता एवं पश्चिम में 35 फीट व जसराज पुत्र वरदाराम आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सिणली जागीर से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह कथन किया कि प्रार्थी सिणली जागीर तहसील पचपदरा जिला बालोतरा का मूल निवासी है तथा प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का पुश्तैनी कब्जासुदा भूखण्ड मौजा सिणली चौसीरा की आबादी भूमि के खसरा नंबर 113 किस्म गैर मुमकिन आबादी में अवस्थित है एवं पुराना पक्का मकान बना हुआ है तथा चारों और तारबंदी व दिवार की हुई है तथा कब्जा व उपयोग उपभोग प्रार्थी द्वारा निरन्तर निर्विघ्न रूप किया जा रहा है, जिसका नाप उतर में 35 फीट व आम्बाराम पुत्र वराराम का भूखण्ड, दक्षिण में 50 फीट व आम रास्ता, पूर्व में 57 फीट, अप्रार्थी संख्या 3 सांगाराम व पेमाराम का भूखण्ड व निजी रास्ता 27.6 फीट चौड़ा, पश्चिम में 57 फीट व जसराज पुत्र वरदाजी आया हुआ है। उक्त भूखण्ड पुश्तैनी समय से प्रार्थी के हिस्सा में पुराना मकान बना हुआ था जो खस्ता हाल होने से कच्चा मकान गिर गया है, अवशेष शेष है। भूखण्ड के चारो ओर तारबंदी की हुई है। उक्त विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी पेमाराम, गणेशाराम, सांगाराम का 1/3 हिस्सा है व जेठाराम का हिस्सा सिणली जागीर के भूखण्ड में है। जो चारों ही स्वर्गीय रूपाराम के जायंदा वारिसान है। उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 सांगाराम व गणेशाराम का पुश्तैनी भूखण्ड है, जो आपसी बंटवाड़ा कर अलग अलग उपयोग व ठांव अंकित किये गये है। अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलकर कूटरचना करते हुए फर्ज व जाली तरीके से प्रार्थी के उपरोक्त नाप व पड़ोस के बीच अवस्थित मकान मय भूखण्ड का फर्जी पट्टा संख्या 31 दिनांक 10.12.2021 को जारी करवा लिया है, जो पंचायती राज अधिनियम 1996 की भारी अनदेखी की गई है तथा अप्रार्थी संख्या 3 की आयु 50 साल नहीं होने पर भी पट्टा जारी किया गया है, जो पुश्तैनी भूमि पर पट्टा जारी किया

जिला कलक्टर
बालोतरा

गया है, जिसमें स्वर्गीय रूपाराम के अन्य वारिसान की सहमति आवश्यक थी। जबकि ऐसी सहमति प्रार्थी व अन्य भाइयों से प्राप्त नहीं कर आलोच्य पट्टा जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवैधानिक रूप से जारी किया गया पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियमों की भारी अनदेखी की गई है, न ही नियमानुसार कमेटी का गठन कर मौका निरीक्षण किया गया है एवं न ही मौके पर आकर पट्टा जारी करने वाले स्थल का नाप किया गया है व न ही पड़ौस अंकित किये गये है। किसी परिसर पर व्यक्ति विशेष का स्थायी निवास, मकान/कच्चे मकान से सनिर्माण के रूप में आबादी भूमि पर कब्जा होना आवश्यक है, जबकि अप्रार्थी संख्या 3 का पट्टा स्थल के परिसर पर कोई कब्जा आज दिन तक नहीं रहा एवं न ही है और न ही ऐसा कोई कच्चा या पक्का मकान बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आलोच्य पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है।

5. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि साक्षी वरदाराम पुत्र श्री पूनमाराम ने शपथ पत्र में अवगत कराया कि मुझे सांगाराम द्वारा ग्राम पंचायत सिणली जागीर से पुश्तैनी पट्टा प्राप्त करने बाबत किसी प्रकार के दस्तावेजो पर हस्ताक्षर नहीं करवाये है। अप्रार्थी संख्या 3 ने जो आवेदन किया है तथा जो नक्शा बनाया गया है, नक्शा किसने बनाया इस बाबत कोई हवाला नहीं है। स्वयं ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व आम रास्तों, नालियों बाबत स्थिति का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है एवं न ही कोई नक्शा भी मौके पर कमेटी ने जाकर नहीं बनाया तथा वास्तविक स्थिति एवं आलोच्य नक्शे के नाप व पड़ोस की स्थिति में पूर्ण रूप से भिन्नता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायती राज नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक में अंतिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित करते हुए नोटिस प्रकाशित करना था, मगर उक्त प्रकिया की पालना नहीं की गई। अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी किया गया आलोच्य पट्टा की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व स्वामित्व पैतृक रूप से लगातार चला आ रहा है। जिस पर प्रार्थी द्वारा तारबंदी की गई है तथा पुराने मकान के अवशेष मौजूद है। कार्यालय जिलाधीश बालोतरा/बाड़मेर द्वारा पट्टा जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश दिनांक 11.12.1974 के अनुसार स्पष्टतया निर्देशानुसार आवंटित भूखण्डों को पत्थरों से चिन्हित करावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 3 से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त पट्टा के भूखण्ड पर आज दिन तक प्रार्थी का कब्जा व स्वामित्व होने के कारण किसी प्रकार का चिन्हित नहीं किया गया एवं न ही मौके पर कब्जा किया गया। वादगस्त भूखण्ड के आलोच्य पट्टा को अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा एस के फाईनंस शाखा बालोतरा में ऋण प्राप्त

जिला कलक्टर
बालोतरा

करने के लिए शाखा प्रबंधक को आवेदन करने पर मौके पर सत्यापन हेतु एस के फाईनेंस के कर्मचारी आने पर दिनांक 06.07.2023 को आलोच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी होने का ज्ञात हुआ। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अपने पक्ष में जारी करवाये गये आलोच्य पट्टे के मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार मैल नहीं खाने से तथा मौके के पड़ौसी व दिशाये व नाप मैल नहीं खाने से अप्रार्थी से मिल कर मिली भगत से बिना जांच किये आनन फानन में प्रार्थी के भूखण्ड मय मकान का पट्टा अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा आलोच्य रूप से पारित किया गया । इस प्रकार उक्त पटटा नियम 157(1) की अनदेखी कर जारी किया गया है, जो खारिज होने योग्य है।

6. अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत उक्त निगरानी पेश की है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 3 सांगाराम, पेमाराम और जेठाराम सगे भाई है। उक्त आलोच्य भूखण्ड पर भाइयों का कोई लेना देना नहीं है। एक भाई जसोल में रहता है एवं दो अन्य भाई पड़ौस में रहते है। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपने पुराने निवासगृह का आवासीय पट्टा जारी कराने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मे पत्रावली का संधारण किया जाकर शुल्क वसूल कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई है तथा सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस भी प्रकाशित किया गया है। इसके पश्चात पंचायत की आम बैठक मे सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसरण मे आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय मे प्रत्येक प्रक्रम की कार्यवाही को आदेशिका में अंकित किया गया है तथा नियमों के परिप्रेक्ष्य मे सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न किया जाना पाया जाता हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सिणली जागीर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी किया आलोच्य पट्टा पट्टा संख्या 31 दिनांक 10.12.2021 पूर्णतय विधि सम्मत है, जो राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के सम्पूर्ण नियमों की पालना करते हुए प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी किया गया है। इस प्रकार जिसमे किसी प्रकार की कोई अवैधता, अनियमितता या अपूर्णता नही होने एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाया जावें।

7. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए भूमि का मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई तथा स्थानीय जांच

जिला कलक्टर
बालोतरा

उपरांत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस प्रकाशित किया। इसके पश्चात निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत की आम बैठक में प्रस्ताव पारित कर आलौच्य पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत के द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैधता नहीं की गई हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि के अभाव में प्रार्थीगण की इस निगरानी में धारा 97 में विहित आधार नहीं बनता हैं। इसके अलावा भी आलौच्य पट्टा विलेख जारी होने से यदि प्रार्थीगण अपने हक–अधिकार प्रभावित होना मानते हैं तो उन्हे सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। ऐसे में प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता की कसौटी पर उल्लेखित आधारों पर स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी आलोच्य पट्टा संख्या 31 दिनांक 10.12.2021 को बहाल रखते हुए प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा